राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017

फोन:–0141–2708739 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/Aanganwadi/2018–19/ 7220 दिनांक : 5/10/18

आंगनबाड़ी कक्षा–कक्ष विकास एवं टॉय बैंक हेतु दिशा–निर्देश 2018–19

(Child Friendly Learning Room)

प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक संवर्धन हेतु राज्य में गत सत्रों से समस्त राजकीय विद्यालयों में संचालित कक्षा 1 से 5 में एसआईक्यूई कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के साथ रचनात्मक शिक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है। इसी परिदृश्य में आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा संचालित ईसीसीई के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की गुणात्मकता सुनिश्चित करने तथा तीन वर्ष की आयु से ही बच्चों की शिक्षा की निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए Child Friendly Learning Roomका निर्माण किया जाना है।आंगनबाडी केन्द्रो हेतु आवंटित किये गये कक्ष में वॉल पेंटिग, शैक्षणिक चार्ट, पोस्टर, शिक्षणसामग्री, टॉय बैंक व खेलकूद हेतु उपकरण उपलब्धकराये जाने हैं। Child Friendly Learning Room**विकसित करने हेतु निम्नांकित कार्य किए जाने प्रस्तावित है–**

1. आंगनबाड़ी का चयन –

1.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की श्रृंखला में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों के 500 मीटर की परिधि में संचालित समस्त आंगनबाडी केन्द्रों को समन्वित किया गया है।

1.2 इस संबंध में दिनांक 08.08.16, 24.04.17 एवं 31.01.18 को क्रमशः उच्च माध्यमिक/माध्यमिक, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों हेतु शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास द्वारा आंगनबाडी के समन्वयन के सम्बन्ध में संयुक्त दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके है।

1.3 वार्षिक कार्ययोजना 2018–19 में पीएबी द्वारा ईसीसीई हेतु अनुमोदित बजट प्रावधानों के अनुसार विद्यालय परिसर में संचालित (विद्यालय भवन या परिसर स्थित स्वयं के भवन/कक्ष) आंगनबाडी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण कर Child Friendly Learning Roomके रूप में विकसित किया जाना है।

2. दीवार लेखन/चित्रण (Wall Painting)–

2.1 पूर्व प्राथमिक शिक्षण हेतु विद्यालयों में Child Friendly LearningRoomका विकास समग्र शिक्षा अभियान द्वारा प्राप्त वित्तीय मानदण्डों के अनुसार प्राप्त राशि से कराया जाना है।

2.2 आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 3, 4 व 5 वर्ष के बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए दिशा–निर्देशानुसार कक्ष का विकास किया जाना है।

2.3 **विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाडी केन्द्र** की चारों दीवारों पर निम्नानुसार पेंट कराया जाएं –

2.3.1 **प्रथम दीवार**–इस पर ग्रीन बोर्ड लगाया जाना है।

2.3.2 **द्वितीय दीवार**–आंगनबाड़ी की किसी भी एक दीवार को द्वितीय मानते हुए (ग्रीन बोर्ड वाली दीवार को छोड़कर) 1) अंग्रेजी व हिन्दी वर्णमाला चित्र सहित, 1 से 10 तक संख्याओं का चित्रण 2) हमारे शरीर की ज्ञानेन्द्रियां जैसे –आंख ,कान, नाक, त्वचा, जीभ, अंगुली का चित्रण 3) फूलों के चित्र जैसे – गुलाब, गेदा, सूरजमुखी,डहलिया का चित्रण 4) यातायात के साधन– बस,कार,रेल,हवाई जहाज आदि का चित्रण किया जाना है।

2.3.3 **तृतीय दीवार –1)** चतुर्भुज, आयत, गोला, त्रिकोण आकृति का रंगीन चित्रण 2) रंगों का चित्रण 3)हमारे राष्टीय प्रतीक के चित्र (कमल, बाघ, अशोक स्तम्भ, मोर, राष्ट्रीय ध्वज) 4)पर्यावरण से सम्बन्धित – चाँद ,सूरज, तारे का चित्रण।

2.3.4 **चतुर्थ दीवार**– 1)फल–सब्जी की आकृतियों –फूलगोभी, मटर, लौकी, बैंगन, टमाटर, आलू, आम, केला, सेब, संतरा, अंगूर के चित्र 2) जंगली व पालतू जानवर –कुत्ता, बिल्ली, बकरी गाय, ऊंट, बन्दर, हाथी, भालू, हिरन, शेर के चित्र 3)जलीय जंतुओं –मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि के चित्र 4)पोशाकों – शर्ट, पैण्ट, फ्रॉक, कुर्ता, सलवार ,पगडी आदि के चित्र

www.rajteachers.com

2.4 आंगनबाडी कक्ष के अन्दर की तीन दीवारों (ग्रीन बोर्ड वाली दीवार के अतिरिक्त) पर बच्चों के अभ्यास कार्य हेतु जमीन से 2.5 फीट तक की ऊंचाई पर ब्लैक बोर्ड पेन्ट कराया जाना है।

2.5 ब्लैक बोर्ड में ऊपर आधे फीट की पट्टी पर निम्नानुसार डॉट लाइनें बनवाएं –

इन पर बच्चे चॉक से आकृति का अभ्यास कर सकेंगें तथा लेखन पूर्व तैयारी एवं सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास हो सकेगा।

2.6 यदि विद्यालय में आंगनबाडी केन्द्र भौतिक रूप से समन्वित किया जा चुका है एवं वर्तमान में कक्षा–कक्ष उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में संस्थाप्रधान बीईईओ/पीईईओ के माध्यम से डीपीसी कार्यालय को सूचना देंवे।

3. टॉय बैंक व खेलकूद के उपकरण–

3.1 विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाडी केन्द्र में अध्ययनरत बच्चों के समग्र विकास हेतु टॉय बैंक व खेलकूद के उपकरण उपलब्ध कराये जाने हैं।

3.2 **टॉय बैंक के अंतर्गत** Building Blocks, Puzzles, Crayons, सिलेट, किचन सैट, डॉक्टर सैट, गुड्डा व गुडिया **इत्यादि प्लास्टिक/रबर से बनी हुईवस्तुएं उपलब्ध करवाई जानी है। बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए एसएमसी के सुझावानुसार उक्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री भी क्रय की जा सकती है।**

3.3 पूर्व प्राथमिक शिक्षण के दौरान आंगनबाडी कक्ष में 3,4,5 आयु के बच्चों के खेलकूद के लिए निम्नलिखित आवश्यक उपकरण एसएमसी/एसडीएमसी में प्रस्ताव लेकर क्रय किये जाने हैं–

- बडी व छोटी गेंद
- रिंग
- गोल घूमने वाला झूला
- चढने व कूदने हेतु सामग्री
- फिसल पट्टी

4. बजट प्रावधान –

4.1 विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी में **Child Friendly Learning Room को चित्रण के माध्यम से विकसित करने हेतु प्रति आंगनबाड़ी (बिन्दु संख्या 2.3 व 2.4 के अनुसार) हेतु 9500/– रूपये** (अक्षरे नौ हजार पांच सौ रूपये मात्र) **स्वीकृत किए गए है।**

4.2 विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी में अध्ययनरत **बच्चों के लिए खेल सामग्री 6,000/– रूपये** (अक्षरे छः हजार रूपये मात्र) **(बिन्दु संख्या 3 के अनुसार)स्वीकृत किए गए है।**

5. वित्त निर्देश –

5.1 **राशि उपयोग में दिशा–निर्देशों की पालना अक्षरशः की जानी है।**

5.2 समग्र शिक्षा अभियान, जिला परियोजना कार्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि राशि का हस्तान्तरण उन विद्यालयों को किया जहॉ समन्वयन पश्चात् आंगनबाडी केन्द्र विद्यालय परिसर में संचालित अथवा विद्यालय परिसर में स्वयं के भवन में संचालित है। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि यह विद्यालय वर्तमान में संचालित है। (जिलेवार/ब्लॉकवार विद्यालयों की सूची मय डाइस कोड परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।)

5.3 समग्र शिक्षा अभियान, जिला कार्यालय द्वारा किसी भी स्थिति में ऐसे विद्यालय, जो किन्हीं कारणों से अस्तित्व में नहीं है अथवा जो वर्तमान समय में बन्द हो गये है, को राशि हस्तान्तरित नहीं की जानी है। अस्तित्वहीन/बन्द विद्यालयों को राशि जारी करने की स्थिति में वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगी। इस स्थिति में जिला/ब्लॉक/पंचायत स्तर के अधिकारी व्यक्तिश स्वयं जिम्मेदार होंगे। यदि

www.rajteachers.com

ऐसे विद्यालय संज्ञान में आते है तो जिला परियोजना कार्यालय द्वारा परिषद् के गुणवत्ता/आंगनबाडी प्रकोष्ठ को अविलम्ब दूरभाष 0141–2701296 एवं मेलrajssaquality@gmail.com पर सूचित करें।

5.4 **इस राशि का उपयोग केवल इसी कार्य में उपयोग के लिए ही राशि स्वीकृत की गई है। किसी अन्य गतिविधि में इस राशि का उपयोग नहीं किया जाए।**

5.5 राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र विद्यालय स्तर से जिला कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।

5.6 समग्र शिक्षा अभियान, जिला कार्यालय द्वारा आंगनबाडी कक्ष विकसित करने हेतु राशि का हस्तान्तरण सीधे ही चयनित समस्त विद्यालय की एसएमसी के खाते मेंकिया जायेगा।

5.7 जिला/ब्लॉक स्तर पर इस गतिविधि के क्रियान्वयन हेतु डीपीसी की अध्यक्षता में एडीपीसी, एपीसी, बीईईओ, पीईईओ और एबीएल हेतु चयनित विद्यालयों के संस्थाप्रधानों/प्रधानाध्यापकों की संयुक्त बैठक करना सुनिश्चित करें।

5.8 जिला स्तर से अविलम्ब एसएमसी को राशि हस्तान्तरित की जा कर विद्यालयों में आंगनबाडी कक्ष का सुदृढीकरण का कार्य अविलम्ब करवाएंगे।

5.9 जिला स्तर पर आयोजित संयुक्त बैठक में संस्था प्रधानों को परिषद् स्तर से जारी विस्तृत दिशा निर्देश तथा आंगनबाडी कक्ष के विकास हेतु सॉफ्ट/हार्ड (रंगीन) प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, जिससे राज्य के सभी विद्यालयों में संचालित आंगबाडी केन्द्रों में एकरुपता लाई जा सके। यह कार्य जिला कार्यालय में उपलब्ध प्रबधन/प्रिटिंग मद से सुनिश्चित किया जाए।

5.10 राशि का उपयोग चयनित विद्यालय की एसएमसी के माध्यम से संस्थाप्रधान द्वारा 5 सदस्यों की कमेटी बनाकर किया जाना है। कमेटी में कम से कम दो अभिभावक जिनमें से एक महिला को लिया जाना सुनिश्चित करें।

5.11 एसएमसी द्वारा क्रय की गई सामग्री को विद्यालय के स्टॉक रजिस्टर (स्थाई और अस्थाई) में प्रविष्ट कर उपयोग में ली जानी है।

4. मॉनीटरिंग–

6.1 विद्यालय परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र में Child Friendly LearningRoomके विकास का समस्त दायित्व पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी का रहेगा।

6.2 कक्ष के विकास सम्बन्धी समस्त कार्यों की मॉनीटरिंग का दायित्व जिला व ब्लॉक कार्यालय अधिकारियों का संयुक्त रूप से होगा।

6.3 जिन विद्यालयों में आंगनबाडी कक्ष विकसित किये जाने के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं है, कीसूचना पीईईओ/बीईईओ/डीपीसी के माध्यम से समग्र शिक्षा अभियान को भिजवायें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांकः रास्कूलशिप/जय/Aanganwadi/2018–19/ 7221 दिनांकः 5/10/18

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
6. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।
7. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
8. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, जयपुर।
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि / मा0शि0, समस्त जिले।
10. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
11. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
12. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी।
13. अध्यक्ष एसएमसी/ संस्था प्रधान सम्बन्धित आदर्श विद्यालय।
14. रक्षित पत्रावली।

राज्य परियोजना निदेशक

www.rajteachers.com